प्रकरण संख्या 32/2017 भांकरलाल बनाम टेकचन्द व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.09.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 36 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सियालपुरा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के संयुक्त स्वामित्व की साबिक आराजी नंबर 1936/5 रकबा 4 बिस्वा हाल आराजी नंबर 5876 रकबा 0.0350 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वादी के हक व हिस्से में आयी है तथा वादी का मकान बना हुआ है, किन्तु बन्दोबस्त के समय साबिक 4 बिस्वा के मुकाबले रकबा 0.0350 हैक्टर ही दर्ज किया गया, जबकि कब्जा वादी का पूरे 4 बिस्वा पर है, जिसका रकबा 0.0432 हैक्टर दर्ज किया जाना चाहिए। अतः वादी को आराजी नंबर 5876 रकबा 0.0432 हैक्टर का खातेदार घोशित किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर दिनांक 23.06.2017 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 18.10.2017 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री नरेश जणवा उपस्थित हुए। भोश रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट द्वारा देरी के कारणों को स्पश्ट करते हुए दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन सहपथ प्रस्तुत किया गया, जिसमें वर्णित कारण उचित प्रतीत होने से न्यायहित में दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की गयी। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर	

उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा मुख्य रूप से यह आपत्ति ली कि प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसका जवाबुल जवाब भी वादी द्वारा दिया गया, जिन पर तनकियात कायम कर साक्ष्य लेकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर केवल मात्र निर्णय करने की मं"ाा से कयासी आधारों पर वादी/अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाशक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रकरण में आगामी तारीख पे"ाी दिनांक 09.05.2017 को नियत थी, किन्तु उक्त दिनांक की कोई आदे"िाका पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं प्रकरण सीधे ही दिनांक 23.06.2017 को राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर वादी का वाद खारिज कर दिया, जो प्रथम दृश्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम कर एवं उन पर उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर तथा उभयपक्षों को सुनवाई का पूण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.11.

	2019 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (प्रियंका जोधावत) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 32/2017 भांकरलाल बनाम टेकचन्द व अन्य